ग्राम पंचायत मन्ड मियानी, विकास खण्ड इंदौरा, जिला काँगड़ा, हिमाचल प्रदेश के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01-04-2022 से 31-03-2024

भाग-एक

1. प्रस्तावना

{क} ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनाँक 07-04-16 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हि० प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपें जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत मन्ड मियानी, विकास खण्ड इंदौरा, जिला काँगड़ा के अवधि "01/04/22 से 31/03/24" तक के लेखों का अंकेक्षण हि.प्र राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा निष्पादित किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत रहे :-

प्रधान:-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री काश्मदीन	01-04-22 से 31-03-24

सचिव :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री प्रीतम चंद	01-04-22 से 26-08-22
2.	श्री धरम पाल	27-08-22 से 04.03.24
3.	श्री परदीप कुमार	05-03-24 से 31-03-24

{ख} गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत मन्ड मियानी के अवधि "01-04-2022 से 31-03-2024" के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:-

क्रम संख्या	पैरा सं०	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि {₹ लाखों में}
1.	4.1	रोकड़ बही व बैंक खातों के शेषों का मिलान न करने के कारण अन्तशेष में अन्तर पाया जाना	0.13
2.	5	अनुदान राशि का उपयोग हेतु शेष पाया जाना	16.63
3.	6	प्रियासॉफ्ट में संधारित लेखों तथा हस्तलिखित लेखों के आंकड़ों में बहुत ज्यादा अंतर पाया जाना	1.33
4.	7	गृह कर की नियमित उगाही न करने के कारण पंचायत राजस्व वसूली हेतु शेष पाया जाना	0.10
5.	9	मानदेय के रूप में पंचायत सदस्यों को अधिक भुगतान करने बारे	0.03
6.	11	विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि को सरकारी कोष में जमा न करवाने बारे	0.03
7.	12	खनन सामग्री के आपूर्ति बिलों से रॉयल्टी की कटौती सुनिश्चित न करने के फलस्वरूप सम्भावित राजस्व हानि	0.17
8.	10, 13	अंकेक्षणापत्ति उपरान्त वसूली करना	0.06

भाग – दो

2. वर्तमान अंकेक्षण:-

ग्राम पंचायत मन्ड मियानी, विकास खण्ड इंदौरा, जिला काँगड़ा के अवधि "01/04/2022 से 31/03 /2024" तक के लेखों का प्रथम व वर्तमान अंकेक्षण श्री अजय कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनाँक 03-05-2024 से 08-05-2024 के दौरान पंचायत कार्यालय, मन्ड मियानी में किया गया। लेखों की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया:-

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2021-22	03/23	03/23
2022-23	05/23	06/23

अस्वीकरण:- वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के सचिव/प्रधान द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

3. अंकेक्षण शुल्क:-

ग्राम पंचायत मन्ड मियानी, विकास खण्ड इंदौरा, जिला काँगड़ा के अवधि "01/04/22 से 31/03/24" तक के लेखों का अंकेक्षण शुल्क वास्तविक कार्य दिवसों के आधार पर **₹4,000**/- बनता है। अंकेक्षण शुल्क की इस राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला -171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या: 239 दिनांक 08.05.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत मन्ड मियानी से अनुरोध किया गया।

4. वित्तीय स्थिति:-

ग्राम पंचायत मन्ड मियानी द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि "01/04/22 से 31/03/24" के लेखों की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी :-

{क} स्वः स्त्रोत:- ग्राम पंचायत मन्ड मियानी के अवधि "01/04/22 से 31/03/24" तक के स्वः स्त्रोत की वित्तीय स्थिति का विवरण निम्न प्रकार से है :-

वर्ष	अथशेष (₹)	प्राप्ति (₹)	योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तिम शेष (₹)
2022-23	78971.5	50596.00	129567.5	62196.00	67371.50
2023-24	67371.50	38358.00	105729.5	56914.00	48815.5

{ख} अनुदान:- ग्राम पंचायत मन्ड मियानी के अवधि "01/04/22 से 31/03/24" के अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट -1** में दिया गया है:-

वर्ष	अथशेष (₹)	प्राप्ति (₹)	योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तिम शेष (₹)
2022-23	1940395.74	3798912.00	5739307.74	3306943.00	2432364.74
2023-24	2432364.74	1825746.00	4258110.74	2594741.80	1663368.94

{ग} दिनांक 31.03.24 को बैंक में जमा राशि का विवरण:-

क्रम संख्या	शीर्ष	बैंक का नाम	खाता संख्या	राशि (₹)
1.	General/5THFC/VKVNY/SDP/ZP	KCCB INDORA	20076007362	565219.5
2.	14TH FC	KCCB INDORA	50055706225	123518.74
3.	15TH FC	CANARA BANK INDORA	5137101001835	1035400.20
4.	TSC	KCCB INDORA	50055706269	315.00
	हस्तगत रोकड़			926.00
कुल योग				**1725379.44**

4.1 बैंक समाधान विवरणी :-

दिनांक 31-03-24 को बैंक अनुसार अन्त शेष	1725379.44
दिनांक 31-03-24 को वित्तीय स्थिति अनुसार अन्त शेष (क+ख)	1712184.44
अंतर	**13195.00**

4.2 रोकड़ बही व बैंक खातों के शेषों का मिलान न करने के कारण अन्तशेष में ₹0.13 लाख का अन्तर पाया जाना :-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 2002 के नियम 7 (3) व 10 (1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य है।

अंकेक्षण में पाया गया कि अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों के शेषों का मिलान नहीं किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप रोकड़ बही व बैंक खातों के शेषों में दिनांक 31-03-24 को ₹**13195.00** की राशि का अन्तर पाया गया, जो संस्था की सच्ची व सही वित्तीय स्थिति नहीं दर्शाता है। पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों एवं बैंक खातों के शेषों का मिलान न करना नियमों के विरुद्ध होने के कारण अनियमित है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 237(1) दिनांक 08.05.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत मन्ड मियानी से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रत्तिउत्तर संख्या GP Miani -01 दिनांक 08.05.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्रवाई करके अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा।

अत: इस अनियमितता बारे तथ्यपूर्ण स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए पंचायत की रोकड़ बहियों एवं बैंक शेषों का मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा वस्तुस्थिति अनुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

4.3 निर्देशानुसार अलग – 2 स्कीमों के लिए अलग – 2 बैंक खाते न खोलना :-

निदेशक पंचायती राज के पत्र संख्या PCH-HA(5)C(15)-13(L)5-47005-81 दिनांक 15.02.2012 में दिए गए निर्देशों के अनुसार अलग – 2 स्कीमों के लिये अलग – 2 खाते खोले जाने अपेक्षित हैं|

पंचायत द्वारा खाता "क", "ख" के अंतर्गत General, 5thFC, VKVNY, SDP व ZP आदि स्कीमों के लिए हि. प्र. पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, क़राधान व भत्ते) नियम, 2002 के नियम 4(1) के प्रावधान का उल्लंघन करते हुये एवं पूर्वोक्त पत्रांक में दिए गए निर्देशों के विरुद्ध एक ही बैंक खाता KCCB इंदौरा 20076007362 खोला गया था जिससे न केवल निदेशक पंचायती राज के निर्देशों की अवेहलना हुई अपितु खातावार/स्कीमवार प्राप्त अनुदान, ब्याज व भुगतान /व्यय आदि की सत्यता की अंकेक्षण में समुचित पुष्टि नहीं की जा सकी जो पंचायत की सच्ची एवं सही वित्तीय स्थिति नहीं दर्शाता है।

अत: इस अनियमितता बारे तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुए नियमानुसार अब तुरंत प्रभाव से निदेशक पंचायती राज के उक्त पत्र में वर्णित निर्देशों के अनुपालनार्थ सुधारात्मक कार्यवाही अमल में लाई जाए|

4.4 वर्गीकृत सार रजिस्टर (Classified Abstract) को न तैयार करने बारे:-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते } नियम 2002 के नियम 29 (4) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को फार्म 8 में वर्गीकृत सार को तैयार करते हुये एक आय तथा व्यय के लिए दो भागों में बनाया जाएगा जिसमें प्रत्येक मद के लिए एक अलग पन्ने पर प्रत्येक आय तथा व्यय के लेन-देन के लिए अलग-अलग प्रविष्टि की जाएगी। प्रत्येक माह के अन्त में मासिक तथा प्रगतिशील योग के लिए प्रविष्टि की जाएगी। इस सार को बनाए जाने का उद्देश्य

आय-व्यय को बजट के अनुसार नियन्त्रित रखा जाना है। इसके न बनाए जाने के कारण अंकेक्षण के दौरान पंचायत के आय तथा व्यय के आंकड़ों का मिलान बजट के साथ करने में न केवल मुश्किल आई परन्तु आय-व्यय विवरणी तथा वित्तीय स्थिति तैयार करने में भी समय की बर्बादी हुई। इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए नियमानुसार वर्गीकृत सार तैयार करना सुनिश्चित किया जाये।

4.5 लेखा खाता /खाताबही तैयार न करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 (1 से 3) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को प्रारूप 7 में लेखा खाता / खाता बही तैयार करने का प्रावधान है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि अंकेक्षण अवधि की खाता बहियाँ/ लेखा खाते तैयार नहीं किए गए थे। अंकेक्षण अवधि की खाता बहियाँ/ लेखा खाते तैयार न करने के कारण वर्तमान अंकेक्षण के दौरान इस तथ्य की पुष्टि सम्भव न हो सकी कि किस –किस कार्य हेतु कितनी – कितनी राशि प्राप्त हुई है व किस – किस कार्य पर कितना – कितना व्यय हुआ है।

अत: वित्तीय वर्ष 2022-23 व 2023-24 की अवधि की खाता बहियाँ /लेखा खाते तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए। वित्तीय वर्ष 2022-23 व 2023-24 की अवधि की खाता बहियाँ /लेखा खाते तैयार करते हुए भविष्य में भी खाता बहियाँ /लेखा खाते तैयार किए जाने सुनिश्चित किए जाए।

5. अनुदान राशि ₹16.63 लाख का उपयोग हेतु शेष पाया जाना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 के अनुसार पंचायत द्वारा विभिन्न अनुदानों को फंडिंग एजेंसी के दिशा निर्देशों अनुसार व्यय किया जाना अपेक्षित है|

पंचायत द्वारा अनुदानों से सबंधित उपलब्ध करवाई गई सूचना **"परिशिष्ट-1"** के अनुसार दिनांक 31-03-24 तक अनुदान राशि ₹1663368.94 उपयोग हेतु शेष थी, जिससे स्पष्ट है कि विभिन्न अनुदान शीर्ष के अन्तर्गत करवाये जा रहे विकास कार्यों का निष्पादन अपेक्षित स्थिति में नहीं है तथा सरकार द्वारा निर्धारित विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में यह पंचायत पीछे है|

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 237(2) दिनांक 08.05.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत मन्ड मियानी से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर संख्या GP Miani -01 दिनांक 08.05.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्रवाई करके अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा।

अत: शेष अनुदान राशि के सम्बन्ध में पूर्ण स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए सक्षम अधिकारी से यथास्थिति अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके, उक्त राशि को निर्धारित उद्देश्यों हेतू व्यय करना सुनिश्चित किया जाये |

6. प्रियासॉफ्ट में संधारित लेखों तथा हस्तलिखित लेखों के आंकड़ों में ₹1.33 लाख का बहुत ज्यादा अंतर पाया जाना :-

पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में E- Panchayat Mission Project (MPP) प्रारम्भ की गई है जिसका क्रियान्वयन पंचायती राज विभाग हि. प्र. कर रहा है | इस योजना के क्रियान्वयन के साथ – साथ हि. प्र. पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997 के नियम 34 में वर्णित सभी रजिस्टरों को कागजरहित प्रणाली के अंतर्गत e-panchayat में बदलने का कार्य भी पंचायती राज विभाग की प्राथमिकता है |

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा लेखों का अनुरक्षण हस्तलिखित तथा प्रिया सॉफ्ट (computerised) दोनों माध्यम से किया जा रहा है तथा जो लेखे Priya Soft में बनाये जा रहें हैं, वे बैंक खातों/हस्तलिखित रोकड़ बही खातों से मिलान नहीं खाते | परिणामस्वरूप श्रम एवं धन का दुरूपयोग हो रहा है एवं ₹132765.50 का बहुत ज्यादा अंतर पाया गया, जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

(क) प्रियासॉफ्ट में दर्ज वार्षिक प्राप्ति /व्यय व हस्तलिखित रोकड़ बही के अनुसार वार्षिक प्राप्ति /व्यय में अंतर (Except MNREGA)

क्रम स.	वर्ष	प्राप्ति (₹)			भुगतान (₹)		
		प्रियासॉफ्ट के अनुसार	रोकड़ बही के अनुसार	अंतर	प्रियासॉफ्ट के अनुसार	रोकड़ बही के अनुसार	अंतर
1	22-23	2762639.00	2687286.00	75353.00	2246755.00	2206917.00	39838.00
2	23-24	648621.00	688889.00	40268.00	1458698.80	1476440.80	17742.00

(ख) प्रियासॉफ्ट रोकड़ बही में दर्शाए गए बैंक शेष तथा बैंक पास बुक शेष में अंतर पाया गया, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:- (Except MNREGA)

वर्ष	प्रियासॉफ्ट के अनुसार बैंक शेष	बैंक पासबुक के अनुसार शेष + (CASH IN HAND)	अंतर
2023-24	1856591.94 + 1553 (Cash in Hand) = 1858144.94	1725379.44	132765.50

उपरोक्त तथ्यों एवं आंकड़ों से स्पष्ट है कि पंचायत के लेखें खाते सच्ची एवं सही स्थिति नहीं दर्शाते हैं।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 237(4) दिनांक 08.05.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर संख्या GP Miani -01 दिनांक 08.05.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्रवाई करके अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा।

अतः तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुये तदानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही करके अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7. गृह कर की नियमित उगाही न करने के कारण ₹0.01 लाख का पंचायत राजस्व वसूली हेतु शेष पाया जाना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज वित्त नियम 2002 के नियम 34(2) के अनुसार पंचायत को देय कोई भी रकम पर्याप्त कारणों के बिना परादेय (outstanding) नहीं रखी जायेगी।

ग्राम पंचायत सचिव द्वारा अपने अधीनस्थ सभी स्त्रोतों जहां से राजस्व उत्पन्न होता है, इतनी रकम का, जितनी बैंक, खजाना या अन्य लेखा-जोखा दिया है के लिए उधार दावा करते हुए, मासिक लेखे और विवरणी, अभिप्राप्त करने की व्यवस्था करेगा और उन्हें प्रारूप 10 में मांग रजिस्टर में नोट करवाएगा।

अंकेक्षण में पाया गया कि गृह कर से सम्बन्धित अभिलेख अर्थात गृह कर के मांग व संग्रहण रजिस्टर का रख-रखाव नहीं किया गया था। पंचायत द्वारा दी गई सूचना के अनुसार पंचायत ने अपने अधिकार क्षेत्र में वर्ष 2022-23 व 2023-24 के दौरान ₹25 प्रति वर्ष की दर से गृह कर आरोपित किया था एवं राशि ₹9725 के पंचायत राजस्व की वसूली दिनांक 31.03.24 को शेष थी, जिसका विवरण **परिशिष्ट "ख"** व नीचे तालिका में दिया गया है:-

सम्पति कर:-

वर्ष	पंजीकृत परिवारों की संख्या	दर	आ. शेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि (₹)
2022-23	398	25	9950	9950	19900	15925	3975
2023-24	398	25	3975	9950	13925	4200	9725

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि गृह कर की नियमित वसूली नहीं की गई थी। मांग व वसूली रजिस्टर का साधारण प्रारूप -10 पर नहीं किया गया था जिससे कि लम्बित गृह कर तथा वसूली का सही पता लगाया जा सके।

अत: गृह कर से सम्बन्धित अभिलेख का संधारण न करना तथा गृह कर नियमित रूप से वसूल न करना इस बात की ओर संकेत करता है कि पंचायत अपनी आय बढ़ाने एवं कर उगाही के प्रति गम्भीर नहीं है, जो कि उपरोक्त नियमों की अवहेलना के दृष्टिगत गम्भीर आपत्तिजनक है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 237(3) दिनांक 08.05.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से उपरोक्त वित्तिय अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में उनके प्रत्तिउत्तर संख्या GP Miani -01 दिनांक 08.05.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्रवाई करके अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा।

अतः पंचायत राजस्व किन कारणों से परादेय (outstanding) रहा स्पष्ट करते हुये लम्बित करों एवं बकाया राजस्व की शीघ्र नियमित वसूली हेतु नियमानुसार प्राथमिकता के आधार पर अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8. दोहरी उपस्थिति के कारण अनियमित भुगतान करने बारे :-

अंकेक्षण के दौरान मनरेगा के मस्ट्रोल में उपस्थित पंचायत सदस्यों की उपस्थिति की जाँच पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर के साथ करने पर पाया गया कि पंचायत सदस्यों की उपस्थिति सामान दिन में मनरेगा मस्ट्रोल व पंचायत बैठक दोनों में दर्ज की गई थी। उपरोक्त अनियमितता का विवरण निम्नानुसार है:-

क्रम संख्या	पदाधिकारी का नाम	मस्ट्रोल संख्या/अवधि	निर्माण कार्य का नाम	मस्ट्रोल में उपस्थिति की तिथि	पंचायत वैठक में उपस्थिति की तिथि	मानदेय के रूप में भुगतान की गई राशि (₹)	मनरेगा की मजदूरी दर के रूप में भुगतान की गई राशि (₹)
1.	अमनदीप कौर	..... 264...... 16.05.2023 से 30.05.2023	C/O of Ambulance road paras raj land to karamchand house.	23.05.2023	23.05.2023	500	240

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 237(5) दिनांक 08.05.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से उपरोक्त वित्तिय अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर संख्या GP Miani -01 दिनांक 08.05.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्रवाई करके अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा।

अतः उपरोक्त अनियमित भुगतान की वसूली वस्तुस्थिति अनुसार यथोचित दर से करके कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

9. ₹2500/- का मानदेय के रूप में पंचायत सदस्यों को अधिक भुगतान करने बारे :-

हि० प्र० पंचायती राज {वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 62{2} के अन्तर्गत ग्राम पंचायत के निर्वाचित सदस्यों को ग्राम पंचायत की सभा में उपस्थिति के अनुरूप मानदेय का भुगतान किया जाएगा तथा यदि कोई सदस्य सभा में उपस्थित नहीं होता है तो उस सभा के लिए मानदेय का भुगतान नहीं किया जाएगा।

पांचवे वित्त आयोग की रोकड़ बही के वाउचर संख्या 47 दिनांक 24.01.2024 के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा पंचायत पदाधिकारियों को मानदेय का भुगतान 01.10.2023 से 30.12.2023 के लिए किया गया था परन्तु भुगतान किये गए मानदेय की अवधि के दौरान माह अक्टूबर 2023 में केवल एक ही ग्राम पंचायत की बैठक हुई थी जिसके

फलस्वरूप पंचायत पदाधिकारियों को एक ग्राम पंचायत बैठक का मानदेय के रूप में अधिक भुगतान किया गया था जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

क्रम संख्या	वार्ड पंच का नाम	पंचायत बैठकों की अवधि	भुगतान की गई राशि (₹)	पंचायत बैठकों में कुल वास्तविक उपस्थिति	वास्तविक भुगतान योग्य राशि (₹)	अधिक भुगतान (₹)
1.	श्रीमतीअमन दीप कौर	01.10.2023 से 30.12.2023	3000 (6X500)	5	2500 (5X500)	500
2.	श्रीमती सुषमा देवी	01.10.2023 से 30.12.2023	3000 (6X500)	5	2500 (5X500)	500
3.	श्री नियाज अली	01.10.2023 से 30.12.2023	3000 (6X500)	5	2500 (5X500)	500
4.	श्री शेखर कुमार	01.10.2023 से 30.12.2023	3000 (6X500)	5	2500 (5X500)	500
5.	श्रीमती जियो बीबी	01.10.2023 से 30.12.2023	3000 (6X500)	5	2500 (5X500)	500
			कुल योग			**2500/-**

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 237(6) दिनांक 08.05.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से उपरोक्त वित्तीय अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में उनके प्रत्तिउत्तर संख्या GP Miani -01 दिनांक 08.05.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्रवाई करके अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा।

अतः वस्तुस्थिति एवं नियमानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

10. विवाह पंजीकरण शुल्क ₹1600 की वसूली न करने बारे :-

सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला की अधिसूचना संख्या – SJE-A-A-(3)-1/2015 दिनांक 04.10.2016 के अनुसार विवाह के पंजीकरण हेतु ₹200 (सामान्य) व आई . आर. डी. पी./बी. पी. एल. के लिए ₹25 पंजीकरण शुल्क

व 30 दिनों के बाद 90 दिनों के भीतर ₹400 (सामान्य) से व₹50 आई . आर. डी. पी./बी.पी.एल. से प्रति विवाह पंजीकरण शुल्क वसूल करके सरकारी कोष में जमा करवाना अनिवार्य है |

अंकेक्षण के दौरान विवाह पंजीकरण रजिस्टर के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 04/22 से 03/24 के दौरान निम्नलिखित आवेदकों का विवाह पंजीकरण किया गया था | परन्तु उक्त अधिसूचना के अनुसार निम्नलिखित आवेदकों से विवाह पंजीकरण शुल्क की वसूली नहीं की गई थी, जिसका विवरण निम्नानुसार से है:-

क्रम संख्या	**विवाह पंजीकरण रजिस्टर के अनुसार क्रम संख्या**	**आवेदक का नाम**	**विवाह की तिथि**	**पंजीकरण की तिथि**	**वसूल योग्य राशि (₹)**
1.	2	श्री सुरेंदर कुमार पुत्र श्री प्रकाश	25.05.2022	10.06.2022	200
2.	3	श्री तारिक अजीज पुत्र श्री लालहुशैन	26.05.2022	22.06.2022	200
3.	5	श्री गणेशपुत्र श्रीदर्शन	25.01.2022	07.12.2022	400
4.	8	श्री हसन पुत्र श्री फकीर	31.12.2022	30.01.2023	200
5.	2	श्रीरविंदर कुमार पुत्र श्री विशम्बर	14.02.2024	17.02.2024	200
6.	3	श्री अभय पुत्र श्री सरवन	17.02.2024	15.03.2024	200
7.	4	श्री हनीफ खानपुत्र श्री मक्खन	02.03.2024	18.03.2024	200
कुल योग					**1600/-**

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 237(7) दिनांक 08.05.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से उपरोक्त वित्तीय अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर संख्या GP Miani -01 दिनांक 08.05.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इसकी वसूली रसीद संख्या 263930 राशि ₹400, 263931 राशि ₹600,

263932 राशि ₹600 दिनाँक 15.05.24 के द्वारा कर बैंक खाता संख्या 20076007362 में जमा करवा दी गई है जिसकी पुष्टि भी अंकेक्षण के दौरान कर ली गई है |

अत: परामर्श दिया जाता है कि भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि को दोबारा न दोहराया जाए |

11. विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि को सरकारी कोष में जमा न करवाने बारे :-

सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला की अधिसूचना संख्या – SJE-A-A-(3)-1/2015 दिनांक 04.10.2016 के अंतर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क निर्धारित दर से प्राप्त की जानी अपेक्षित है, जिसे समय-समय पर वसूल करने के उपरांत विवाह पंजीकरण नियम 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित प्राप्ति मुख्य शीर्ष खाता संख्या "0235-00-800-03" में जमा करवाना अपेक्षित है:-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2022-23 व 2023-24 के दौरान निम्न विवरणानुसार विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि को सरकारी कोष में जमा नहीं करवाया गया था :-

क्रम संख्या	वित्तीय वर्ष	विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि (₹)
1	**2022-23**	**800**
2	**2023-24**	**2400**
कुल योग		**3200/-**

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 237(8) दिनांक 08.05.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से उपरोक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में उनके प्रत्तिउत्तर संख्या GP Miani -01 दिनांक 08.05.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्रवाई करके अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा ।

अत: विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि को नियमानुसार सरकारी कोष में जमा न करवाने का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट करें अथवा विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि को नियमानुसार शीघ्र सरकारी कोष में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व कृत अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए |

12. खनन सामग्री के आपूर्ति बिलों के समर्थन में नियमानुसार अपेक्षित अभिलेख की अनुपस्थिति में रॉयल्टी की कटौती सुनिश्चित न करने के फलस्वरूप राशि ₹0.17 लाख के राजकीय राजस्व की सम्भावित हानि:-

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल्स नियम, 2015 के नियम '81' व '81ए' के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माइनिंग लीज होल्डर द्वारा जारी व माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रांजिट पास (फार्म-डब्ल्यू) या स्लीमेंटरी पास (फार्म-एक्स) उपलब्ध करवाना अनिवार्य है अन्यथा उक्त नियम की द्वितीय अनुसूची के अनुसार निम्न दरों से रॉयल्टी का भुगतान 25% पेनल्टी सहित करना होगा।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत द्वारा रेत, बजरी, पत्थर की खरीद की गई थी परन्तु आपूर्तिकर्ता के खनन सामग्री जैसे रेत, बजरी, पत्थर इत्यादि की आपूर्ति के सम्बन्ध में उक्त ट्रांजिट पास अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गए। परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ताओं को निम्न विवरणानुसार **₹17211/-** का अनियमित भुगतान किया गया प्रतीत होता है :-

नाम	**मात्रा (cum)**	**फैक्टर**	**कुल मात्रा**	**दर (प्रति टन)**	**राशि (₹)**
रेत	12	1.62	19.44	80	1555
बजरी	34	1.52	51.68	80	4134
रेत	22	1.62	35.64	80	2851
बजरी	43	1.52	65.36	80	5229
कुल योग					**13769**
पेनल्टी 25%					**3442**
कुल योग					**17211/-**

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 238(1) दिनांक 08.05.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस वित्तीय अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउतर संख्या GP Miani -01 दिनांक 08.05.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमों की जानकारी न होने के कारण **रॉयल्टी** की गणना नहीं की जा सकी प्रस्तुत उतर तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं है।

अतः **₹17211/-** के अनियमित भुगतान को या तो नियमानुसार समर्थित अभिलेख सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अथवा इस मामले को सम्बन्धित विभाग से उठाते हुये तदानुसार कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये अन्यथा इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके हि. प्र. सरकार के आय लेखा शीर्षक "0853-Non ferrous mining and Metallurgical Industries,102- Mineral Concession fees and Royalties, 81-Other receipts" में जमा करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

इसके अतिरिक्त यहाँ पर यह भी स्पष्ट किया जाता है कि अंकेक्षण द्वारा केवल चयनित माह के भुगतानों को रॉयल्टी के लिए जांचा गया है। शेष अवधि में हुए ऐसे भुगतानों की जांच अपने स्तर पर करके वस्तुस्थिति एवं नियमानुसार देय रॉयल्टी की वसूली करना सुनिश्चित करें।

13. आपूर्तिकर्ता को ₹0.05 लाख का GST के रूप में अतिरिक्त/अनियमित भुगतान करने बारे:-

वाउचर संख्या 67 दिनांक 22.03.2023 (14th FC) के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा मै. जय बाबा कयालू इंटरप्राइजेज को निर्माण सामग्री की खरीद पर निम्न विवरणानुसार बिल का भुगतान वस्तु एवं सेवा कर के साथ किया गया था परन्तु वर्ष 2022-23 की निविदाओं की तुलना करने पर पाया गया कि उक्त फर्म द्वारा निर्माण सामग्री की आपूर्ति के लिए जो दर (मूल्य) दी गई थी वो GST सहित थी जिसके परिणामस्वरूप पंचायत द्वारा उक्त फर्म ₹5022 का अधिक भुगतान **GST अतिरिक्त के रूप में** फर्म को किया गया है जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

क्रम संख्या	वाउचर संख्या/ दिनांक	बिल संख्या/दिनांक	फर्म का नाम	विवरण	भुगतान की गई राशि (₹)(With GST)	भुगतान योग्य राशि (₹)	GST के रूप में अधिक भुगतान की गई राशि (₹)
1	67 दिनांक 22.03.2023	14/21.03.2023	मै. जय बाबा कयालू इंटरप्राइजेज	निर्माण सामग्री	40422	35400	5022

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 238(4) दिनांक 08.05.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से उपरोक्त वित्तीय अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर संख्या GP Miani -01 दिनांक 08.05.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इसकी वसूली रसीद संख्या 263929 दिनांक 14.05.2024 के अन्तर्गत कर राशि ₹5022 को बैंक खाता संख्या 20076007362 में जमा करवाया गया जिसकी पुष्टि भी अंकेक्षण के दौरान कर ली गई है | जबकि यह राशि 14वें वित्तायोग से सम्बन्धित है, जिसे सम्बन्धित खाते में हस्तान्तर कर कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

अत: परामर्श दिया जाता है कि भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि को दोबारा न दोहराया जाए ।

14. SBM/TSC शीर्ष से प्राप्त अनुदान से ₹0.05 लाख अधिक व्यय करने बारे

अंकेक्षण के दौरान **परिशिष्ट-1** के अवलोकन पर पाया गया कि दिनाँक 31-03-24 तक पंचायत द्वारा **SBM/TSC शीर्ष के अंतर्गत प्राप्त अनुदान** राशि से अधिक राशि खर्च कर ली गई थी। जोकि अनियिमित हैं , जिसका विवरण निम्नानुसार दिया गया है :-

क्रम संख्या	वर्ष	शीर्ष	अथशेष (₹)	प्राप्ति	योग (₹)	व्यय (₹)	राशि (₹)
1	**2023-24**	**SBM/TSC**	28419	8	28427	33752	5325.00

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 238(6) दिनांक 08.05.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउतर संख्या GP Miani -01 दिनांक 08.05.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अत: यह स्पष्ट किया जाये कि जो राशि **SBM/TSC शीर्ष** की प्राप्त राशि से अधिक खर्च की गई थी, वह किस प्राधिकारी की स्वीकृति अनुमोदन से, किस निधि से की गई थी तथा उसकी प्रतिपूर्ति करके उसी निधि जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये जिस निधि से इसका खर्चा किया गया था तथा कृत अपेक्षित कार्रवाही से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाये व भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि को दोबारा न दोहराया जाये |

15. बिल/ वाउचरों के भुगतान हेतु पारित आदेश सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूरा न करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संख्यापरीक्षा, संख्याकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 49(1) में पंचायत द्वारा भुगतान आदेश जारी करने सम्बन्धी औपचारिकताएं प्रावधित हैं ।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि 04/2022 से 03/2024 के दौरान बिलों का भुगतान हेतू उपरोक्त नियम की औपचारिकताओं को पूरा नहीं किया गया था जिनमें से चयनित माह के व्यय का विवरण निम्न दिया गया है :-

क्र° स°	वर्ष	चयनित माह	चयनित माह में पारित बिलों की कुल राशि (₹)
1.	2022-23	03/23	671065.00
2.	2023-24	06/23	615646.00

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 238(2) दिनांक 08.05.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउतर संख्या GP Miani -01 दिनांक 08.05.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः परामर्श दिया जाता है कि समस्त भुगतान बिलों की अदायगी हेतु उपरोक्त नियम की औपचारिकताओं को पूरा करना सुनिश्चित किया जाए तथा सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए ।

16. विहित रजिस्टरों/अभिलेख का रख-रखाव न करना:-

हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 व हि०प्र० पंचायती राज (सामान्य) नियमावली, 1997 के नियम 34 के अंतर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख-रखाव किया जाना अनिवार्य है |

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख-रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। लेखांकन प्रक्रिया में कमियों के चलते

किसी भी स्तर पर धन एवं सामग्री के दुरूपयोग की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है।

क्र. स.	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	सन्दर्भित नियम
1	निवेश रजिस्टर	1	12
2	मासिक बैंक समाधान विवरणी	---	15(1)
3	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	9	30
4	रसीद बुक जारी करने का रजिस्टर	---	31
5	मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(14)
6	सहायक अनुदान रजिस्टर, हि. प्र. पंचायती राज सामान्य नियम 1997	8	34
7	बिल रजिस्टर	13	48
8	डाक टिकट रजिस्टर	24	61 (2)
9	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टरों का नियमानुसार उचित तरीके से अनुरक्षण न करना	25 व 26	72(1) (ए,बी)

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 238(5) दिनांक 08.05.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउतर संख्या GP Miani -01 दिनांक 08.05.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अत: वस्तुस्थिति अनुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें।

17. भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करना:-

हि० प्र० पंचायती राज {वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया था, जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया।

18. लघु-आपति विवरणिका :- लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया है यह संस्था को अलग से जारी नहीं की गई हैं।

19. निष्कर्ष:- लेखों के रख-रखाव में सुधार एवं कड़े निरीक्षण की आवयश्कता है।

17 AUG 2024

का०/प्रति

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009

4057 — 4061

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(पंच)(xv)(2)413 / 2024–खण्ड–1 दिनॉक, शिमला–09,
प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ / आवश्या कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कुसुम्पटी शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सभी सम्बन्धित को एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।
3 जिला पंचायत अधिकारी कॉंगड़ा, जिला कॉंगड़ा, हि0प्र0।
4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड इन्दौरा, जिला कॉंगड़ा (हि0प्र0)।
पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत मण्ड मियानी, विकास खण्ड इन्दौरा, जिला कॉंगड़ा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

17 AUG 2024

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009

का०/प्रति

BAL OF SABHA NIDHI AS ON 31-03-22 OF GRAM PANCHAYT [redacted]R BLOCK INDORA DISTRICT INDORA PINCODE 176403

YEAR	Opening Balances	Reciepts	Total	Expenditure	Closing Balances
2022-23	78971.5	50596.00	129567.5	62196.00	67371.50

CERTIFIED THAT THE OPENING BAL OF SABHA NIDHI AS ON 01-04-2022 IN CASH BOOK 78971.50

Mand - Miani

BAL OF SABHA NIDHI AS ON 31-03-23 OF GRAM PANCHAYT [redacted]R BLOCK INDORA DISTRICT KANGRA PINCODE 176403

YEAR	Opening Balances	Reciepts	Total	Expenditure	Closing Balances
2023-24	67371.50	38358.00	105729.5	56914.00	48815.5

CERTIFIED THAT THE OPENING BAL OF SABHA NIDHI AS ON 01-04-2023 IN CASH BOOK 67371.50

हस्ताक्षर
दिनांक

Panchayat Secretary
Gram Panchayat Mand Miani
Dev. Block Indora (Kangra) H.P.

20

परिशिष्ट - 1 धारा - 5 के संदर्भ में

Mand - Miani

FINANCIAL POSITION OF GRANT-IN-AID OF GP [redacted] BLOCK INDORA FOR THE YEAR 2022-23

S.NO.	Head	Opening Balances	Reciepts	Total	Expenditure	Closing Balances
1	14TH FC	760139.74	13238.00	773377.74	653847.00	119530.74
2	MGNREGA	0	1162222.00	1162222.00	1162222.00	0.00
3	PMKSY	0	0.00	0.00	0.00	0.00
4	5TH FC	23090	327526.00	350616.00	339316	11300.00
5	NRHM	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6	MPLAD	0	0.00	0.00	0.00	0.00
7	RGSA	0	0.00	0.00	0.00	0.00
8	VKVNY	0	250000.00	250000.00	250000	0.00
9	SDRF	0	0.00	0.00	0.00	0.00
10	ZP	7699	0.00	7699.00	0.00	7699.00
11	TSC	201921.00	1731.00	203652.00	175233.00	28419.00
12	PMAGY	0	0.00	0.00	0.00	0.00
13	SBM	0	0.00	0.00	0.00	0.00
14	SDP	0	1210000.00	1210000.00	80952.00	1129048.00
15	MMGPY	0	0.00	0.00	0.00	0.00
16	15TH FC	947546.00	834195.00	1781741.00	645373.00	1136368.00
	TOTAL	**1940395.74**	**3798912.00**	**5739307.74**	**3306943.00**	**2432364.74**

Mand - Miani

FINANCIAL POSITION OF GRANT IN AID OF GP [redacted] BLOCK INDORA FOR THE YEAR 2023-24

S.NO.	Head	Opening Balances	Reciepts	Total	Expenditure	Closing Balances
1	14TH FC	119530.74	3988.00	123518.74	0.00	123518.74
2	MGNREGA	0.00	1175215.00	1175215.00	1175215.00	0.00
3	PMKSY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	5TH FC	11300.00	458705	470005.00	458965	11040.00
5	NRHM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	MPLAD	0.00	0	0.00	0	0.00
7	RGSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	VKVNY	0.00	0	0.00	0	0.00
9	SDRF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	ZP	7699.00	50000.00	57699.00	57699.00	0.00
11	TSC	28419.00	8.00	28427.00	33752.00	-5325.00
12	PMAGY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	SBM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	SDP	1129048.00	0.00	1129048.00	630313.00	498735.00
15	MMGPY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	15TH FC	1136368.00	137830.00	1274198.00	238797.80	1035400.20
	TOTAL	**2432364.74**	**1825746.00**	**4258110.74**	**2594741.80**	**1663368.94**

CERTIFIED THAT THE OPENING BAL OF GRANT IN AID AS ON 01-04-2023 IN CASH BOOK 2432364.74

J.A

Panchayat Secretary
Gram Panchayat Mand Miani
Dev. Indora (Kangra) H.P.

प्रधान

BANK DETAIL OF GP Mand Miani BLOCK INDORA DISTRICT KANGRA

CERTIFIED THAT THE BANK BALANCE AS ON 01-04-22

S.NO	HEAD	BANK NAME	ACCOUNT NO	AMOUNT
1	General/5TH FC/VKVNY/SDP/ZP	KCCB INDORA	20076007362	109476.50
2	14TH FC	KCCB INDORA	50055706225	760139.74
3	15TH FC	CANARA BANK INDORA	5137101001835	947546.00
4	TSC	KCCB INDORA	50055706269	201921.00
		CASH IN HAND		284.00
		TOTAL		**2019367.24**

CERTIFIED THAT THE BANK BALANCE AS ON 31-03-23

S.NO	HEAD	BANK NAME	ACCOUNT NO	AMOUNT
1	General/5TH FC/VKVNY/SDP/ZP	KCCB INDORA	20076007362	1255799.5
2	14TH FC	KCCB INDORA	50055706225	119530.74
3	15TH FC	CANARA BANK INDORA	5137101001835	1229368.00
4	TSC	KCCB INDORA	50055706269	307.00
		CASH IN HAND		758.00
		TOTAL		**2605763.24**

BANK DETAIL OF GP Mand Miani BLOCK INDORA DISTRICT KANGRA

CERTIFIED THAT THE BANK BALANCE AS ON 31-03-24

S.NO	HEAD	BANK NAME	ACCOUNT NO	AMOUNT
1	General/5TH FC/VKVNY/SDP/ZP	KCCB INDORA	20076007362	565219.5
2	14TH FC	KCCB INDORA	50055706225	123518.74
3	15TH FC	CANARA BANK INDORA	5137101001835	1035400.20
4	TSC	KCCB INDORA	50055706269	315.00
		CASH IN HAND		926.00
		TOTAL		**1725379.44**

Panchayat Secretary
Gram Panchayat Mand Miani
Dev. Indora (Kangra) H.P.

"परिशिष्ट-ख" पैरा 7 के संदर्भ में

HOUSE TAX O/STANDING AS ON 31-03-23 OF GRAM PANCHAYT MAND MIANI BLOCK INDORA DISTRICT KANGRA

YEAR	NUMBER OF HOUSEHOLD	RATE	O.BAL	DEMAND	TOTAL	COLLECTION	C.BAL
2022-23	398	25	9950	9950	19900	15925	3975

HOUSE TAX O/STANDING AS ON 31-03-24 OF GRAM PANCHAYT MAND MIANI BLOCK INDORA DISTRICT KANGRA

YEAR	NUMBER OF HOUSEHOLD	RATE	O.BAL	DEMAND	TOTAL	COLLECTION	C.BAL
2023-24	398	25	3975	9950	13925	4200	9725

Panchayat Secretary
Gram Panchayat Mand Miani
Dev. Indora (Kangra) H.P.

J.A